फा.सं. 500/05/2020/एफटी एंड टीआर-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
विदेशी कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग-II

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

विषय: भारत के दोहरे कराधान परिहार करारों के तहत मूल उद्देश्य परीक्षण (पीपीटी) के अनुप्रयोग के लिए मार्गदर्शन-के संबंध में।

आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण ("एमएलआई") को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय अभिसमय दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को भारत में लागू हुआ। एम.एल.आई. भारत के कुछ दोहरे कराधान परिहार करारों (डी.टी.ए.ए.) को संशोधित करता है। एम.एल.आई. का एक मुख्य प्रावधान मूल उद्देश्य परीक्षण (पी.पी.टी.) है, जिसका प्रयोजन संधि के दुरुपयोग को रोककर राजस्व की हानि को रोकना है। यद्यपि पीपीटी को एमएलआई के माध्यम से भारत के अधिकांश डीटीएए में शामिल किया गया है, तथापि यह द्विपक्षीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ अन्य डीटीएए का हिस्सा है।

2. पीपीटी इस प्रकार है:

इस अभिसमय (या करार) के अन्य प्रावधानों के बावजूद, इस अभिसमय (या करार) के अंतर्गत किसी आय मद के संबंध में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उस लाभ को प्राप्त करना किसी व्यवस्था या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ प्राप्त हुआ, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि इन परिस्थितियों में उस लाभ को प्रदान करना इस अभिसमय (या करार) के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप होगा।

3. पीपीटी में डीटीएए के तहत लाभों से इनकार करने की परिकल्पना की गई है, जहां सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि किसी व्यवस्था या लेनदेन का एक प्रमुख उद्देश्य डीटीएए के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करना है। तथापि, जहां ऐसा मामला है, पीपीटी प्रावधान का अंतिम भाग उस व्यक्ति को, जिसे अन्यथा लाभ से वंचित किया गया है, यह स्थापित करने की संभावना प्रदान करता है कि इन परिस्थितियों में लाभ प्राप्त करना अभिसमय के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप होगा। पीपीटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीटीएए उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार लागू हों, जिनके लिए वे किए गए हैं, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के सद्भावपूर्वक विनिमय और पूंजी तथा व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में लाभ प्रदान करने हेतु।

4. इस बात का निर्धारण कि क्या लेन-देन या संव्यवहारों या समझौते से एक प्रमुख प्रयोजन कर लाभ प्राप्त करना है और ये, संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। भारत के डीटीएए के अंतर्गत पीपीटी प्रावधान के अनुप्रयोग पर स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है:

क. वह अवधि जिसके लिए पीपीटी प्रावधान लागू किए जाने की परिकल्पना की गई है:

भारत के डीटीएए के अंतर्गत पीपीटी प्रावधान के अनुप्रयोग में समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीटी प्रावधान को उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना है। तदनुसार, भारत के डीटीएए के अंतर्गत पीपीटी प्रावधान निम्नानुसार लागू होंगे:

क. डीटीएए के लिए जहां पीपीटी को द्विपक्षीय प्रक्रियाओं (जैसे चिली, ईरान, हांगकांग, चीन आदि) के माध्यम से, डीटीएए या पीपीटी को शामिल करने वाले संशोधन को प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, शामिल किया गया है।

ख. डीटीएए के अनुबंधित क्षेत्राधिकारों के लिए प्रावधान, जहां पीपीटी को एमएलआई के माध्यम से शामिल किया गया है - एमएलआई के अनुच्छेद 35 में निर्दिष्ट डीटीएए के संबंध में एमएलआई के प्रावधानों के लागू होने की तारीख से, निम्नानुसार होगा:

i अनिवासियों को भुगतान या जमा की गई राशियों पर स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जहां ऐसे करों को बढाने वाले प्रसंग पिछले वर्ष के पहले दिन या उसके बाद होते हैं, जो डीटीएए के लिए संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस एमएलआई के लागू होने की तारीखों में से सबसे बाद की तारीख को या उसके बाद शुरू होती है:

ii डीटीएए के संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस एमएलआई के लागू होने की नवीनतम तारीख से छह कैलेंडर माह की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले पिछले वर्षों के लिए भारत द्वारा लगाए गए अन्य सभी करों के संबंध में।

भारत के लिए, एमएलआई के लागू होने की तिथि 1 अक्टूबर, 2019 है। डीटीएए साझेदार के लिए लागू होने की तिथि का पता ओईसीडी के एमएलआई डाटाबेस का उपयोग करके लगाया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 में यथा-परिभाषित अनुसार होगा।

तथापि, पीपीटी को लागू किए जाने के लिए उपर्युक्त अवधि, नीचे दिए गए अनुसार संधि विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के साथ ऐसे प्रावधानों की परस्पर क्रिया के अधीन होगी।

ख. पीपीटी प्रावधान की कुछ संधि-विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के साथ अंतःक्रिया:

भारत ने आज की तिथि तक निम्नलिखित डीटीएए के अंतर्गत 'ग्रैंडफादरिंग' प्रावधानों के रूप में कुछ संधि-विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताएं की हैं:

i भारत-साइप्रस डीटीएए;
ii भारत-मॉरीशस डीटीएए; और
iii भारत-सिंगापुर डीटीएए।

इन प्रतिबद्धताओं को, जो कि द्विपक्षीय रूप से सहमत ऐसे ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन में प्रतिबिंबित होती हैं, का प्रयोजन पीपीटी प्रावधान के साथ अंतःक्रिया करना नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे डीटीएए के अंतर्गत ग्रैंडफादरिंग प्रावधान पीपीटी प्रावधान के दायरे से बाहर रहेंगे, तथा इसके स्थान पर संबंधित डीटीएए के इस संबंध में विशिष्ट प्रावधानों द्वारा प्रशासित होंगे।

ग. मार्गदर्शन के सहायक/अनुपूरक स्रोत:

पीपीटी प्रावधान का अनुप्रयोग संदर्भ-विशिष्ट तथ्य-आधारित अभ्यास होगा, जिसे वस्तुनिष्ठ तथ्यों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में, बीईपीएस कार्य योजना 6 अंतिम रिपोर्ट के साथ ही, कर अधिकारी, जहां भी लागू हों, भारत की आपत्तियों के अधीन, पीपीटी प्रावधानों के आह्वानों और अनुप्रयोग पर निर्णय लेते समय, मार्गदर्शन के सहायक/अनुपूरक स्रोतों के रूप में संयुक्त राष्ट्र मॉडल कर अभिसमय (2021 में अद्यतित) के अनुच्छेद 1 और 29 की टिप्पणी का संदर्भ ले सकते हैं।

आँचल 21/1/25

(आँचल खंडेलवाल)
निदेशक, एफटी एंड टीआर-II
भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:

i वित्त मंत्री के निजी सचिव/ वित्त मंत्री के ओएसडी/राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव/ राज्य मंत्री (वित्त) के ओएसडी।
ii राजस्व सचिव के ओएसडी।
iii अध्यक्ष, सीबीडीटी और सीबीडीटी के सभी सदस्य।
iv अपने क्षेत्रीय/प्रभार के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों को प्रेषित करने के अनुरोध के साथ सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/ आयकर महानिदेशक।
v सीबीडीटी के सभी संयुक्त सचिव/ आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव।
vi इस परिपत्र को https://www.incometax.gov.in पर अपलोड के अनुरोध के साथ वेब प्रबंधक, एडीजी(एस)-4, प्रधान आयकर महानिदेशक, दिल्ली के कार्यलाय।
vii आयकर आयुक्त (एम एंड टीपी), सीबीडीटी के सरकारी प्रवक्ता।
viii जेसीआईटी, डाटा बेस सेल को www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने के लिए।
ix गार्ड फाइल।

आँचल 21/1/25

(आँचल खंडेलवाल)
निदेशक, एफटी एंड टीआर-II
भारत सरकार